बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013 (Part file)- 1467 पटना, दिनांक– 20.7.15

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान ।

विषय :– केन्द्र प्रायोजित एस0 डी0 आई0 योजनान्तर्गत एम0 ई0 एस0 के तहत भी0 टी0 पी0 स्थायी पंजीकरण करने के संबंध में ।

प्रसंगः– आई0टी0/विविध–01/2013–1945 दिनांक–14–07–2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित संस्थानों/प्रतिष्ठानों को भी0टी0पी0 हेतु उपयुक्त पाया गया जो निम्नवत हैं :–

क0 सं0	संस्थान का नाम एवं पता	स्थाई भी0 टी0 पी0 नम्बर	अनुशंसित कोर्स कोड	ई–मेल/ दूरभाष संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जन कल्याण केन्द्र, मरवन, गॉव– पताही, मुजफ्फरपुर ।	410140006	ICT-701.	jkkm1976@gmail.com 9431614483	
2	निर्माण, सकरी, सरैया, मुजफ्फरपुर ।	410140007	GAR-501.	mohanmuzaffarpur@gmail.com 9470009861	
3	ई0 स्मार्ट प्राइवेट आई0 टी0 आई0, पोठही रेलवे स्टेशन के निकट, पुनपुन, पटना।	410280057	ELE-701, 703. FAB-701. CON-705,715.	esmartpvtiti@gmail.com 9386957608	
4	साई निजी औ0प्र0सं0, शाहपुर, भोजपुर.–802165	410290005	ELE-701,702,703.	Saiti2010@gmail.com 9386368969	
5	माता कनक प्रा0 औ0 प्रशिक्षण संस्थान, वाटिकापुरी, अम्बेदकर पथ, रूकनपुरा पो0– बी0भी0 कॉलेज, पटना–800014	410280066	ELE-701,702.	mkitipatna@gmail.com 9334205724	
6	जगलाल आई0टी0आई0, जगलाल नगर, इमामगंज, गया ।	410350012	ELE-701,702,703.	jaglalitc@gmail.com 8434444308	
7	पाटलीपुत्र औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, देवकुली, पो0–मुसेपुर, पटना–801103	410280035	IEL-701. ELE-701,702, 703. ICT-701.	Pitc2010@gmail.com 7488313323	

उपर्युक्त वर्णित कुल–07 संस्थानों को स्कील डभलपमेन्ट इनिसिएटिव (एस0 डी0 आई0) योजनान्तर्गत मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील (एम0ई0एस0) के तहत भी0 टी0 पी0 घोषित करते हुए कॉलम–04 में वर्णित मॉड्यूल में संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील के नये मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार Training Batch No (TBN) generate करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होगा :–

1. Bio-Metric System Install करने के उपरान्त मशीन का IMEI, Serial No साक्ष्य के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
2. एक मॉड्यूल में दो बैच तथा विभिन्न मॉड्यूल में कुल 06 बैच एक साथ प्रशिक्षण चलाने हेतु प्रत्येक संस्थान/प्रतिष्ठान को अनुमति दी जाती है।
3. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम से कम 10 का होना अनिवार्य है।
4. इस योजना के तहत सभी भी0टी0पी0 को राज्य के आरक्षण नियमावली का पालन नियमानुसार करना अनिवार्य होगा ।
5. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ।
6. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है।
7. इस योजना के तहत सभी भी0 टी0 पी0 को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा एक मॉड्यूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है ।
8. प्रत्येक बैच के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का 80 प्रतिशत प्लेसमेन्ट से संबंधित डाटा पोर्टल पर अंकित करने के उपरान्त हीं प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
9. इस योजना के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का बैचवार प्लेसमेन्ट, वेतन/ आय पोर्टल पर कम से कम 80 प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा संबंधित डाटा पोर्टल पर 6 (छः) महीनों में तीन से अधिक बैच का अंकित नहीं किए जाने पर अगला TBN का अनुशंसा नहीं किया जाएगा।
10. इस योजना के तहत स्थायी पंजीकृत भी0 टी0 पी0 यदि तीन माह के अन्दर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्य आरंभ नहीं करता है अथवा दो बैच की अवधि छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा ।
11. वैसे modules जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, उस मॉडूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व Soft and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनविार्य है साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
12. इस योजना के तहत यदि एक भी0 टी0 पी0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही समय अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त भी0 टी0 पी0 पंजीयन रदद् कर दिया जाएगा ।
13. ट्रेनिंग कैलेण्डर बनाने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय सुनिश्चित करें ताकि ट्रेनिंग कैलेण्डर का अनुमोदन प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सके।

14- प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिनों के अन्दर Assessment कराना अनिवार्य होगा, यदि कोई भी0टी0पी0 संस्था पॉच बैंचो में से तीन बैचों में इसका पालन नहीं नहीं किया तो वैसे भी0टी0पी0 संस्था के संबंधित module की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

15. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय के साथ–साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। Assessment के समय जिला नियोजन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–टी 2/एम0ई0एस0–14/2013 (Part file)- 1467 पटना, दिनांक– 20.7.2015.

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना